राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

कमांक/राजस्व/2016/ 3122

दिनांक 2-10-2016

प्रमुख शासन सचिव
नागरिक उड्डयन विभाग
राजस्थान जयपुर ।

विषयः– कोलाना झालावाड राजकीय हवाई पट्टी के विस्तार एंव विकास की अब तक की कार्यावाही की अन्तरिम प्रगति रिपोर्ट ।

प्रसंगः– नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का पत्रांक प07(16)नाउ/96–पार्ट जयपुर दिनांक 20 जुलाई 2016 एवं 31.08.2016 के अनुकम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासगिक पत्र के कम मे निवेदन है कि नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का पत्रांक प07(16)नाउ/96–पार्ट जयपुर दिनांक 20 जुलाई 2016 एवं 31.08.2016 के अनुकम मे, कोलाना झालावाड राजकीय हवाई पट्टी के विस्तार एव विकास की प्रगति को लेकर जिला कलक्टर की अध्क्षता मे दिनांक 02.10.16 को सा0नि0वि0, वन विभाग, विघुत विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियो के साथ समीक्षा बैठक की गई जिसमे अब तक की गई कार्यवाही एवं दिये गये निर्देशो की अन्तरिम प्रगति रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार है:–

1. वर्तमान मे झालावाड के स्थित हवाई पट्टी की लम्बाई 1700 मीटर है जिस पर हवाई यातायात सुचारू रूप से प्रारम्भ किये जाने हेतु A–320/ Q–400 की लेण्डिग हेतु 3000 मीटर का रवने आवश्यक होगा। जिला झालावाड मे वृहद ओद्योगिक संस्थाओ की स्थापना हो रही है जिसके अन्तर्गत धनौदी ग्राम के निकट 1200 करोड लागत की कोटन यार्न फैक्टी प्रारम्भ कर दी गई है तथा उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है, इसी कम मे कोटडा जागीर (तहसील अकलेरा) मे भी जिले का नया औद्योगिक क्षैत्र राज्य सरकार के निर्देशानुसार विकसित किया गया है जहा पर 700 करोड लागत की ओद्योगिक इकाई की स्थापना की जा रही है। वर्तमान मे सिघानिया(झालरापाटन) मे थर्मल पावर स्टेशन कार्यरत है तथा 1320 मेगा वाट का विघुत उत्पादन कमिक राष्ट्र मे विघुत उत्पादन मे योगदान दे रहा है। झालावाड जिला मुख्यालय मे स्थित मेडिकल कालेज मे स्नातकोत्तर स्तर के एवं अभियात्रिकी महाविघलय के विद्यार्थी अध्ययनरत है। जिले मुख्यालय के 10 कि0मी0 परिधि मे नेशनल इन्स्टटीयूट फारमोसिकल इज्यूकेशन एवं रिसर्च (NIPER) की स्थापना प्रस्तावित है। जिले मे पर्यटन की भी विघुत सभांवना है जिसमे मुख्य रूप से अन्तराष्ट्रीय स्तर की कोलवी की बुद्व गुफाए, गागरोन का किला इत्यादी स्थित है।
2. नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प07(16)नाउ/96–पार्ट जयपुर दिनांक 20 जुलाई 2016 की अनुपालना मे, इस कार्यालय के ओदश कमांक 2474 दिनांक 20.07.16 द्वारा निजी खातेदारी की भूमियो के अवाप्ति हेतु उपखण्ड अधिकारी झालावाड को भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया गया तथा अधिक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 से भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवथापन मे उचित प्रतिकर और पादरर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानो के तहत कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास के लिए ग्राम कोलाना मण्डावर, बूढ मण्डावर, भवरिया एवं खेरासी की निजी भूमिया, सिवायचक भूमिया, चरागाह भूमिया, वन भूमिया की रिपोर्ट चाही गई।

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़
फोन नं. 07432—230403, फैक्स न. —230404
Email: dm-jha-rj@nic.in
जगमग हैल्पलाईन :— 07432—230645,
07432 —230646

3. अधीक्षण अभियन्त सा0नि0वि0 ने अपने पत्र दिनांक 29.09.2016 के द्वारा कोल कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास के लिए ग्राम कोलाना मण्डावर, बूढ मण्डावर , भवरिया एवं खेरासी की रिपोर्ट प्रेषित की जिसमे परियोजना हेतु आवश्यक भूमियो का विवरण निम्न प्रकार है:—

विवरण	निजी भूमियां	सिवायचक भूमिया	चरागाह भूमिया	वन भूमिया	कुल योग
हवाई पट्टी विस्तार	22.3827	6.3991	49.9281	112.3632	191.0731
परिवर्तित मेगा हाई वे	1.5303	0.7082	7.7840	8.0430	11.0655
योग	23.9130	7.1073	50.7121	120.4062	202.1386

उपरोक्त परियोजना मे आ रही भूमियो के भूमि अर्जन व भूमि आवंटन के सबंध मे निम्न प्रकार दिशा निर्देश दिये गये:—

1. निजी भूमिया रकबा —23.9130. हैक्टयर के लिए भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नर्व्यवस्थान मे उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत अवाप्ति बाबत मिटिग मे उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि धारा 4,5,6,7,8,9 व 10 की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है धारा —11 की कार्यवाही तीन दिन मे पूर्ण करने हेतु भूमि अवाप्ति अधिकारी झालावाड को निर्देर्शित किया गया ।
2. सरकारी भूमिया, चरागाह भूमिया व वन विभाग की भूमियो के आवंटन के प्रस्ताव अन्दर तीन योम मे तैयार कर भिजवाने हेतु उपखण्ड अधिकारी असनावर को निर्देशित किया गया ।
3. परियोजना मे वन विभाग की आ रही रकबा —120.4062 है0 वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु भूमि चिन्हित करने हेतु राजस्व शाखा को निदेर्शित किया गया ।
4. विघुत विभाग द्वारा 33 के0वी0 सब स्टेशन हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है। विधुत विभाग को विधुत पोल लगाने हेतु स्थान चयन करने एवं चिन्हित स्थान को नक्शे मे दर्शाने हेतु निर्देशित किया गया तथा आवश्यक नियमानुसार कार्यवाही पूर्ण करने के लिए अधिशाषी अभियता विघुत विभाग को निर्देशित किया गया ।
5. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 झालावाड से मेगाा हाई—वे परिवर्तित एवं हवाई पट्टी के बाउण्डी व अन्य आवश्यक कार्यो के सबंध मे चर्चा कर यथाशीर्घ कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये।
6. राजस्व विभाग एवं सा0नि0वि0 के अधिकारियो को, कोलाना हवाई पट्टी विकास एवं विस्तार हेंतु नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान जयपुर के निदेशक से अवाप्ताधीन भूमि के नक्शे जिसमे हवाई पट्टी की स्थिति, मेगा हाई वे की स्थिति, 33 केवी सब स्टेशन की स्थिति , पुलिस थाना एवं इस हेतु आवश्यक बिन्दुओ पर मय नक्शे के चर्चा कर उन्हे इस प्रकिया की वस्तुस्थिति से अगवत कराकर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

अतः कोलाना झालावाड राजकीय हवाई पट्टी के विस्तार एव विकास की अब तक की कार्यावाही की वस्तुस्थिति की अन्तरिम प्रगति रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

भवदीय,

जिला कलक्टर
झालावाड

जहाँ सोच, वहाँ शौचालय,
बदलो सोच, बनाओ शौचालय।

माँ घर में घूँघट तेरा साथी,
फिर क्यों शौच खुले में जाती

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर,
फोन -230403, फैक्स न. -230404
Email: dm-jha-rj@nic.in
जगमग हैल्पलाईन :- 07432-230645,
07432 -230646

दिनांक 20-10-2016

क्रमांक/राजस्व/2016/3298
प्रमुख शासन सचिव(सामान्य प्रशासन)
नागरिक उड्डयन विभाग
शासन सचिवालय ,राजस्थान जयपुर ।

विषयः- कोलाना झालावाड राजकीय हवाई पट्टी के विस्तार एव विकास की अब तक की कार्यावाही की अन्तरिम प्रगति रिपोर्ट ।

प्रसंगः- नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का पत्रांक प07(16)नाउ/96-पार्ट जयपुर दिनांक 20 जुलाई 2016 एवं 31.08.2016 के अनुकम मे।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासगिक पत्र के कम मे निवेदन है कि नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का पत्रांक प07(16)नाउ/96-पार्ट जयपुर दिनांक 20 जुलाई 2016 एवं 31.08.2016 के अनुकम मे, कोलाना झालावाड राजकीय हवाई पट्टी के विस्तार एव विकास की प्रगति को लेकर जिला कलक्टर की अक्षता मे दिनांक 02.10.16 को सा0नि0वि0, वन विभाग, विघुत विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियो के साथ समीक्षा बैठक की गई जिसमे अब तक की गई कार्यवाही एवं दिये गये निर्देशो की अन्तरिम प्रगति रिपोर्ट बिन्दुवार निम्न प्रकार हैः-

1. वर्तमान मे झालावाउ के स्थित हवाई पट्टी की लम्बाई 1700 मीटर है जिस पर हवाई यातायात सुचारू रूप से प्रारम्भ किये जाने हेतु A-320/ Q-400 की लेण्डिग हेतु 3000 मीटर का रवने आवश्यक होगा। जिला झालावाड मे वृहद ओद्योगिक संस्थाओ की स्थापना हो रही है जिसके अन्तर्गत धनौदी ग्राम के निकट 1200 करोड लागत की कोटन यार्न फैक्टी प्रारम्भ कर दी गई है तथा उत्पादन कार्य प्रारम्भ हो गया है, इसी कम मे कोटडा जागीर (तहसील अकलेरा) मे भी जिले का नया औद्योगिक क्षेत्र राज्य सरकार के निर्देशानुसार विकसित किया गया है जहा पर 700 करोड लागत की ओद्योगिक इकाई की स्थापना की जा रही है। वर्तमान मे सिघानिया(झालरापाटन) मे थर्मल पावर स्टेशन कार्यरत है तथा 1320 मेगा वाट का विघुत उत्पादन कमिक राष्ट्र मे विघुत उत्पादन मे योगदान दे रहा है। झालावाड जिला मुख्यालय मे स्थित मेडिकल कालेज मे स्नातकोत्तर स्तर के एवं अभियात्रिकी महाविघलय के विद्यार्थी अध्ययनरत है। जिले मुख्यालय के 10 कि0मी0 परिधि मे नेशनल इन्स्टटीयूट फारमोसिकल इज्यूकेशन एवं रिसर्च (NIPER) की स्थापना प्रस्तावित है। जिले मे पर्यटन की भी विघुत सभांवना है जिसमे मुख्य रूप से अन्ताराष्ट्रीय स्तर की कोलवी की बुद्व गुफाए, गागरोन का किला इत्यादी स्थित है।
2. नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के पत्रांक प07(16)नाउ/96-पार्ट जयपुर दिनांक 20 जुलाई 2016 की अनुपालना मे, इस कार्यालय के ओदश कमांक 2474 दिनांक 20.07.16 द्वारा निजी खातेदारी की भूमियो के अवाप्ति हेतु उपखण्ड अधिकारी झालावाड को भूमि अवाप्ति अधिकारी नियुक्त किया गया तथा अधिक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 से भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुनर्व्यवथापन मे उचित प्रतिकर और पादरर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानो के तहत कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास के लिए ग्राम कोलाना मण्डावर, बूढ मण्डावर , भवरिया एवं खेरासी की निजी भूमिया, सिवायचक भूमिया, चरागाह भूमिया, वन भूमिया की रिपोर्ट चाही गई।
3. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 ने अपने पत्र दिनांक 29.09.2016 के द्वारा कोल कोलाना हवाई पट्टी के विस्तार एवं विकास के लिए ग्राम कोलाना मण्डावर, बूढ मण्डावर , भवरिया एवं खेरासी की रिपोर्ट प्रेषित की जिसमे परियोजना हेतु आवश्यक भूमियो का विवरण निम्न प्रकार हैः-

विवरण	निजी भूमियां	सिवायचक भूमिया	चरागाह भूमिया	वन भूमिया	कुल योग
हवाई पट्टी विस्तार	22.3827	6.3991	49.9281	112.3632	191.0731
परिवर्तित मेगा हाई वे	1.5303	0.7082	7.7840	8.0430	11.0655
योग	23.9130	7.1073	50.7121	120.4062	202.1386

उपरोक्त परियोजना मे आ रही भूमियो के भूमि अर्जन व भूमि आवंटन के सबंध मे निम्न प्रकार दिशा निर्देश दिये गयेः-

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड़

[illegible] हेल्पलाईन :– 07432–230645,
07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

4. निजी भूमिया रकबा –23.9130 हैक्टयर के लिए भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नर्व्यवस्थान मे उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनिमय 2013 के तहत अवाप्ति बाबत मिटिग मे उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि धारा 4,5,6,7,8,9 व 10 की कार्यवाही पूर्ण कर ली गई है धारा –11 के प्रावधानो के तहत अधिसूचना जारी किये जाने के सबंध मे उपखण्ड अधिकारी अधिसूची प्राप्त होने पर इस कार्यालय के पत्रांक 3184 दिनांक 06.10.16 से धारा 11 की अधिसूचना जारी किये जाने की कार्यवाही हेतु प्रमुख शासन सचिव नागरिक उडडयन विभाग को भिजवा दिये गये है। धारा–11 की कार्यवाही मे समाधात हेतु दो माह की अविध एक्ट मे मे प्रावधित है।
5. सरकारी भूमिया, चरागाह भूमिया व वन विभाग की भूमियो के आवंटन की कार्यवाही जिला स्तर पर प्रगतिरत है जो शीघ्र ही पूर्ण कर दी जावेगी।
6. परियोजना मे वन विभाग क्षतिपूर्ति हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा भूमि परिर्वर्तित करने के लिए प्रस्ताव आन लाईन किये जा चुके है।
7. विघुत विभाग द्वारा 33 के0वी0 सब स्टेशन हेतु भूमि का चयन कर लिया गया है। विघुत विभाग को विघुत पोल लगाने हेतु स्थान चयन करने एवं चिन्हित स्थान को नक्शे मे दर्शाने हेतु निर्देशित किया गया तथा आवश्यक कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कर दी जावेगी ।
8. अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 झालावाड से मेगाा हाई–वे परिवर्तित एवं हवाई पट्टी के बाउण्डी व अन्य आवश्यक कार्यो मे बजट की आवश्यकता होगी।
9. राजस्व विभाग एवं सा0नि0वि0 के अधिकारियो को, कोलाना हवाई पट्टी विकास एवं विस्तार हेतु नागरिक उड्डयन विभाग राजस्थान जयपुर के निदेशक से अवाप्ताधीन भूमि के नक्शे जिसमे हवाई पट्टी की स्थिति, मेगा हाई वे की स्थिति, 33 केवी सब स्टेशन की स्थिति , पुलिस थाना एवं इस हेतु आवश्यक बिन्दुओ पर मय नक्शे के मे चिन्हिकरण की कार्यवाही की जा रही है।
10. कोलाना हवाई अड्डे पर वर्तमान मे स्थित 1710 मीटर हवाई पट्टी को 3000 मीटर लम्बाई के निर्माण करने हेतु एव अन्य कार्यो के लिए 200 करोड के वित्तिय स्वीकृति की आवश्यकता होगी जिसके लिए प्रथम फेज मे 125 करोड की स्वीकृति हेतु मुख्य अभियन्ता सा0नि0वि0 राजस्थान जयपुर को अधीक्षण अभियन्ता सा0नि0वि0 वृत्त झालावाड के पत्र दिनांक 27.04.16 से प्रस्ताव प्रेषित कर दिये गये हे।

अतः कोलाना झालावाड राजकीय हवाई पट्टी के विस्तार एव विकास की अब तक की कार्यावाही की वस्तुस्थिति की अन्तरिम प्रगति रिपोर्ट सादर प्रेषित है।

भवदीय,

जिला कलक्टर
झालावाड